



2026:AHC-LKO:1202-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील संख्या - 442 सन 2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लखनऊ
एवं 2 अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

शेष नाथ पांडे

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	आलोक कुमार पांडेय

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. राज्य अपीलकर्ताओं की ओर से श्री सुदीप कुमार, अपर महाधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कर रहे थे, और प्रतिवादी की ओर से श्री गौरव मेहरोत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री आलोक कुमार पांडे कर रहे थे, की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह विशेष अपील अपीलकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें रिट-ए संख्या 14020/2025 (शेष नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.12.2025 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है।
3. अपील पर लंबी बहस के बाद, नियमों या शासनादेश के संबंध में कुछ प्रश्नों का सामना करने पर, जिसके तहत प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार हो सकता है, और इस तथ्य के संबंध में कि श्री शमशुल हुदा खान के सेवामुक्त रहने की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उनके जीपीएफ खाते में कोई अंशदान नहीं किया गया था, और साथ ही ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाया जा सका जिसके तहत श्री शमशुल हुदा खान को देय जीपीएफ से वसूली की जा सके, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदीप कुमार और राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि, चूंकि रिट याचिका अभी भी लंबित है, इसलिए यह न्यायालय स्पष्ट करे कि रिट न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां अनुशासनात्मक कार्यवाही को आगे बढ़ाने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बाधा नहीं होंगी कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा कोई कदाचार किया गया है या नहीं।
4. प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि रिट न्यायालय की टिप्पणियाँ केवल प्रथम दृष्ट्या टिप्पणियाँ हैं, जो जाँच अधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही आगे बढ़ाने और अपना निर्णय लेने में बाधा नहीं डालतीं। हालाँकि, अनुशासनात्मक कार्यवाही आगे बढ़ाते समय, जाँच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी कदाचार के विषय पर कानून पर विचार करने के लिए बाध्य होंगे।
5. हमारा मत है कि रिट न्यायालय की टिप्पणियाँ केवल अंतरिम चरण में की गई प्रथम दृष्ट्या टिप्पणियाँ हैं, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करतीं, क्योंकि माननीय एकल न्यायाधीश ने स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी है, इसलिए उक्त कार्यवाही जारी रह सकती है, लेकिन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जैसा कि श्री गौरव मेहरोत्रा ने कहा है, कार्यवाही आगे बढ़ाते समय जाँच अधिकारी और/या अनुशासनात्मक प्राधिकारी कानून के अनुसार कदाचार के प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य होंगे।

6. श्री सुदीप कुमार की इस प्रार्थना के संबंध में कि अपीलीय न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाए, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यह प्रार्थना क्यों की जा रही है, जबकि इसे शीघ्रता से पूरा करना राज्य प्राधिकरण का दायित्व है और इस संबंध में न तो आक्षेपित आदेश द्वारा और न ही हमारे द्वारा कोई बाधा उत्पन्न की गई है।

7. उपरोक्त स्पष्टीकरण के अधीन, हमें आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, जो कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित एक अंतरिम आदेश है।

8. तदनुसार, अपील **खारिज** की जाती है।

जनवरी 8, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।